



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 2019/श्रावण 22, 1941
No. 461]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2019/SHRAVANA 22, 1941

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 570(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 25 में

(i) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:

“(4) भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी, स्टार रेटिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु पैंतालीस दिन का कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात्, उन खानों में खनन प्रचालन को निलंबित कर सकेंगे, जहां, यथास्थिति, तारीख 27 फरवरी, 2017 से चार वर्ष की अवधि के भीतर या खनन प्रचालन के प्रारंभ की तारीख से चार वर्षों में कम से कम तीन स्टार रेटिंग प्राप्त नहीं की गई है।”

(ii) उपनियम (5) में “चार स्टार रेटिंग” शब्दों के स्थान पर “तीन स्टार रेटिंग” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 16/11/2019-एम.VI]

डॉ. निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 27 फरवरी, 2017 को प्रकाशित किया गए।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2019

G.S.R. 570(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, namely:-

2. (1) These rules may be called the Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, in rule 35,
 - (i) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) The Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines may suspend the mining operations in those mines where at least three star rating has not been achieved within a period of four years with effect from the 27th February, 2017 or four years from the date of commencement of mining operations, as the case may be, after giving a show cause notice of forty-five days, to qualify for star rating”;
 - (ii) In sub-rule (5), for the words “four star rating”, the words “three star rating” shall be substituted.

[F. No. 16/11/2019-M.VI]

Dr. NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Footnote: The Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th February, 2017.